"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर 2013—कार्तिक 24, शक 1935

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्रमांक ई 1-11-2013/1/2.—भारत सरकार के पत्र क्र. 11030/4/2012-AIS-II, दिनांक 26-09-2012 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान में एक वर्ष के लिये एक अतिरिक्त असंवर्गीय पद निर्माण की अनुमति दी गई थी. उक्त अनुमोदन से विगत वर्ष की मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति हेतु गठित छानबीन समिति द्वारा श्री दिब्येन्दु शेखर मिश्रा, भा.प्र.से. (1982) को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया था. भारत सरकार द्वारा प्रदाय अनुमति अनुसार विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28-09-2012 द्वारा श्री दिब्येन्दु शेखर मिश्रा, भा.प्र.से. (1982) को अपेक्स वेतनमान रुपये 80,000/- में पदोन्नति प्रदान की गई है.

2. श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से. (1977) की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध श्री दिब्येन्दु शेखर मिश्रा, भा.प्र.से. को मुख्य सचिव वेतनमान में समायोजित किये जाने हेतु भारत शासन द्वारा पत्र क्र. 11030/22/2007-एआईएस-II, दिनांक 23-09-2013 द्वारा संसहमति प्रदान की गई है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

3. राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 23-09-2013 के अनुक्रम में श्री दिब्येन्दु शेखर मिश्रा, भा.प्र.से. (1982) को दिनांक 12-07-2013 को मुख्य सचिव वेतनमान में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध समायोजित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्रमांक ई-1-1/2013/एक/2.—श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989), सचिव, माननीय राज्यपाल तथा सचिव, वन विभाग को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक ई 1-17/2013/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1983 आवंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारी को, आवंटन वर्ष से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3(1) के परन्तुक के अंतर्गत, दिनांक 23-09-2013 से रिक्ति उपलब्ध होने पर दिनांक 04-10-2013 को छानबीन समिति (Screening Committee) की अनुशंसा अनुसार, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सेवा के अपेक्श वेतनमान (Apex Scale) रु. 80,000/- (निश्चित) में पदोन्नति प्रदान की जाती है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री अजय सिंह भा.प्र.से. (1983)	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग.	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, ग्रामोद्योग विभाग.
2.	श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से. (1983)	प्रमुख सचिव, गृह, जेल, परिवहन विभाग एवं परिवहन आयुक्त, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग.	अपर मुख्य सचिव, गृह, जेल, परिवहन विभाग एवं परिवहन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग.

2. श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत कृषि उत्पादन आयुक्त के संवर्गीय पद एवं अपर मुख्य सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

श्री ए. के. असवाल, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत अपर मुख्य सचिव, गृह, जेल, परिवहन विभाग, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के असंवर्गीय पद तथा परिवहन आयुक्त के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. भारत सरकार के पत्र क्र. 11030/04/2012-एआईएस-II, दिनांक 23-09-2013 के द्वारा अपेक्स वेतनमान में पदोन्नति हेतु 02 अतिरिक्त असंवर्गीय पद की सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्रमांक ई-1-1/2013/एक/2.—श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989), सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा सचिव, वन विभाग से सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का प्रभार वापस लेते हुये उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, माननीय राज्यपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा सचिव, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार यथावत् रखा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2013

क्रमांक–एफ 1–2/56/2013/सू.प्रौ. जै.प्रौ/450.—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000 का 21) (इसमें इसके पश्चात् कथित अधिनियम) की धारा 7 (इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के प्रतिधारण) एवं धारा 7 अ (इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में संधारित दस्तावेजों इत्यादि के अंकेक्षण) के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा, किसी कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय अथवा अभिकरण (इसमें इसके पश्चात् विभाग), जो छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व में अथवा उसके नियंत्रणाधीन हैं, के हित में अभिलेखों के परिरक्षण के लिये मार्गदर्शी नियमावली बनाती है।

छत्तीसगढ़ शासन का प्रत्येक विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार उनकी संबंधित विभागीय मार्गदर्शी नियमावली के अनुसार अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में प्रतिधारित एवं परिरक्षित करेगा।

इस संबंध में लागू प्रावधान इसके साथ उपाबद्ध (संलग्न) हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमन कुमार सिंह, सचिव.

उपाबद्ध (परिशिष्ट)

छत्तीसगढ़ शासन के विभागों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रतिधारण एवं परिरक्षण पर नीति

सामान्यतः विभिन्न विभागों में अभिलेखों के प्रतिधारण एवं परिरक्षण की आवश्यकता उनके कार्यों, उत्पन्न आवश्यकताओं इत्यादि पर निर्भर होती है। विभिन्न विभागों द्वारा संधारित अभिलेखों की विविधताओं पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस दस्तावेज नीति में सभी अभिलेखों की सूची तैयार करना तथा उसे अद्यतन बनाये रखना न तो उपयुक्त है और न ही वांछनीय।

अभिलेख कागजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में हो सकता है। तथापि, यह दस्तावेज नीति, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के प्रतिधारण एवं परिरक्षण के संबंध में लागू होती है।

क. **प्रतिधारण की अवधि–**

समस्त अभिलेख, दस्तावेज अथवा सूचनाएं तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत यथा उपबंधित विशिष्ट कालावधि के लिये प्रतिधारित की जानी चाहिये।

ख. **इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रतिधारण–**

अभिलेखों, दस्तावेजों अथवा सूचनाओं के प्रतिधारण की ऐसी कोई आवश्यकता का समाधान हुआ माना जायेगा यदि ऐसे अभिलेख, दस्तावेज या सूचना, अधिनियम की धारा 2 (1) (आर) के अन्तर्गत परिभाषित किये अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में रखी गई हैं, परन्तु निम्नलिखित शर्तों का पालन होना चाहिये–

(अ) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहुंच अनुवर्ती संदर्भों के लिये उपयोग योग्य हो सके।

(ब) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उसी प्रारूप में प्रतिधारण हो, जिसमें उसे मूल रुप से तैयार किया गया हो, प्रेषित किया गया हो अथवा प्राप्त किया हो अथवा उस प्रारूप में, जिसमें कि मूल रुप से तैयार, प्रेषित अथवा प्राप्त किये जाने की सूचना उचित रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रदर्शित की जा सके; तथा

(स) विवरण, जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की उत्पत्ति, लक्ष्य, प्रेषण अथवा प्राप्ति की तारीख व समय की पहचान सुगम होंगे।

ग. **इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों पर पहुंच–**

(अ) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को उन सभी कर्मियों तक पहुंच के लिये सुगम बनाया जायेगा, जिन्हें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों तक पहुंच का अधिकार दिया गया हो।

(ब) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के पहुंच का उद्देश्य है: (1) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की पहुंच पर नियंत्रण (2) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अनाधिकृत पहुंच से रोकथाम, तथा (3) अनाधिकृत गतिविधियों का पता लगाना।

(स) विभाग द्वारा उपयुक्त पहुंच नियंत्रण नीतियाँ बनाकर कर्मियों को प्रमाणित एवं चिन्हित करना।

घ. **इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रतिधारण–**

(अ) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रतिधारण विभाग द्वारा अपनायी गई प्रशासनिक कार्यप्रणाली के अनुसार एक अवधि के लिये किया जाना।

(ब) जहां तक हो सके, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को उनके प्रारूप, जिसमें विभाग द्वारा उनकी मूल रूप में उत्पत्ति हुई, प्रेषित अथवा प्राप्त की गई, प्रतिधारित किया जाना।

(स) विभाग इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के संचयन एवं प्रतिधारण संबंधी तकनीकी बदलावों को ध्यान में रखकर सूचनाओं के किसी एक प्रारूप से अन्य प्रारूप में प्रव्रजन संबंधी उपयुक्त रूपरेखा तैयार कर सकेगा। सूचनाओं के प्रतिधारण की किसी एक तकनीक से अन्य तकनीक में प्रव्रजन के दौरान इस बात का ध्यान रहे कि सूचनायें, प्रव्रजन के दौरान एवं उसके पश्चात् भी उसी स्वरूप में रहें, जिसमें वह मूल रूप में तैयार, प्रेषित अथवा प्राप्त की गई हों।

(द) इससे पहले कि संचित किया गया प्रारूप अप्रचलित हो जाए, विभाग को सूचनाओं को समर्थित कार्यशील प्रारूप में रूपान्तरित करने के लिये हर प्रकार से प्रयास करना।

ङ प्रतिधारित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संबंधी मूल जानकारियों को संरक्षित करना–

(अ) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रतिधारण में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की मूल जानकारी चिन्हांकन हेतु भी ली एवं प्रतिधारित की जाती हैं।

(ब) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की मूल अथवा प्रारंभिक जानकारी में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की उत्पत्ति, लक्ष्य, प्रेषण अथवा प्राप्ति की तारीख व समय सम्मिलित करना।

च. इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में धारित अभिलेखों का अंकेक्षण–

(अ) यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत, दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा सूचनाओं के अंकेक्षण किये जाने हेतु प्रावधान है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में संधारित दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा तैयार की गई सूचनाओं के अंकेक्षण के लिये भी वही प्रावधान लागू होगा।

(ब) प्रतिधारण नीति व कार्यप्रणालियों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने हेतु अंकेक्षण प्रक्रिया।

छ. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का परिरक्षण–

(अ) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का परिरक्षण केन्द्र व राज्य शासन दोनों के विभिन्न विधानों के अन्तर्गत उचित विधिक दायित्वों के पालन में होना।

(ब) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को उनकी विशिष्टताओं के आधार पर परिरक्षित किया जाना, अर्थात्: (1) जीवनकाल (2) पहुंच (3) पठनीय (4) जुड़ी हुई सूचना के संबंध में समझने योग्य (5) प्रमाणिकता व सत्यनिष्ठा के हिसाब से साक्ष्यिक महत्व (6) नियंत्रित नष्टता और (7) वर्धक क्षमता।

Raipur, the 27th September 2013

No. F 1-2/56/2013/IT BT/450.—With reference to section 7 [Retention of electronic records] and section 7A [Audit of documents etc., maintained in electronic form] of the Information Technology Act (21 of 2000) (hereinafter the said Act), the Government of Chhattisgarh, hereby, formulates a guideline for preservation of records for the benefit of any office, authority, body or agency (hereinafter Department) owned or controlled by the Government of Chhattisgarh.

Every Department of the Government of Chhattisgarh shall retain and preserve the records as per their respective departmental guidelines in electronic form as per the provisions of the Information Technology Act, 2000.

The applicable provisions in this regard are annexed herewith.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMAN KUMAR SINGH, Secretary.

ANNEXURE

Policy on Electronic Record Retention & Preservation by the Departments of Government of Chhattisgarh

The need for retention and preservation of records at various departments will generally depend on their functions, emerging requirements, etc. Considering the diversity of records maintained at various departments, it is felt that making out a list of all records in this policy document is neither appropriate nor desirable.

The record may be paper based or in electronic form. However, this policy document is applicable vis-a-vis retention and preservation of electronic records.

A. The Period of Retention

All records, documents or information are to be retained for a specific period as provided under any law for the time being in force.

B. Retention of Electronic Records

Any such requirement of retention of records, documents or information shall be deemed to have been satisfied if such records, documents or information are retained in the electronic form as defined under section 2(1)(r) of the Act provided following conditions are met:

(a) Aaccessibility of the electronic record so as to be usable for a subsequent reference;

(b) Retention of the electronic record in the format in which it was originally generated, sent or received or in a format, which can be demonstrated, to represent accurately the information originally generated, sent or received; and

(c) The details, which will facilitate the identification of the origin, destination, date and time of despatch or receipt of such electronic record.

C. Accessibility of Electronic Records

(a) Electronic records are to be made accessible to all those personnel who have been granted access rights to such electronic records.

(b) The objectives behind accessibility of electronic records are: (1) to control access to electronic records, (2) to prevent unauthorised access to electronic records, and (3) to detect unauthorised activities.

(c) Department to identify and authenticate personnel by making suitable access control policies.

D. Retention of Electronic Records

(a) Electronic records are to be retained for a period in accordance with the administrative practices as adopted by a department.

(b) As far as possible, electronic records are to be retained in the format in which it was originally generated, sent or received by the department.

(c) The department may frame a suitable framework related to data migration from one format to another keeping in view changes in technology related to storage and retention of electronic record. Care must be taken while migrating from one data retention technology to another, as information originally generated, sent or received to remain same during and after such migration.

(d) Department to make every endeavour to convert data into an actively supported format before its storage format becomes obsolete.

E. Preserving Basic Metadata related to the Retained Electronic Records

(a) While retaining electronic records, it is important that basic metadata of such electronic records are also captured and retained for identification.

(b) Basic or elementary metadata of the electronic record to include origin, destination, date and time of despatch or receipt of such electronic record.

F. Audit of Records maintained in Electronic Form

(a) If under any law for the time being in force, there is a provision for audit of documents, records or information, the similar provision shall also be applicable for audit of documents, records or information processed or maintained in the electronic form.

(b) Audit process to ensure adequacy of retention policy and practices.

G. Preservation of Electronic Records

(a) Electronic records to be preserved in order to meet legal obligations under various enactments of both the Central and the State Government.

(b) Electronic records to be preserved in view of their attributes, namely: (1) life time, (2) accessibility, (3) readability, (4) comprehensibility in respect of linked information, (5) evidentiary value in terms of authenticity and integrity, (6) controlled destructibility, and (7) augmentability.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2013

क्रमांक–एफ 1–2/56/2013/सू.प्रौ.जै.प्रौ/452.–सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (क्रमांक 21 सन् 2000) (इसमें इसके पश्चात् कथित अधिनियम), की धारा 70 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर संसाधन एवं संचार उपकरण, जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप–धारा (1) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित अतिसंवेदनशील सूचना अधोसंरचना की सुविधा को प्रभावित करते हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इससे संलग्न अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित तंत्र घोषित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमन कुमार सिंह, सचिव.

अनुसूची

1. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ शासन के कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर नेटवर्क एवं कम्प्यूटर संसाधन, जो कि प्रशासन, प्रबंधन, संचालन, वितरण एवं शासकीय कार्यक्रमों, सेवाओं, योजनाओं इत्यादि के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त हो रहे हों।

2. छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक इन्टरनेट वेबसाईट http://www.chhattisgarh.gov.in एवं सभी शासकीय विभागों एवं अभिकरणों की वेबसाईट।

3. छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) की आधिकारिक वेबसाइट http://www.chips.gov.in ।

4. डिजीटल सचिवालय छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक इन्टरनेट वेबसाईट।

Raipur, the 27th September 2013

No. F 1-2/56/2013/IT BT/452.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 70 of the Information Technology Act (no. 21 of 2000)(hereinafter the said Act), the Government of Chhattisgarh hereby declares the computers, computer systems, computer networks, computer resources and communication devices which directly or indirectly affects the facility of Critical Information Infrastructure as defined in the *Explanation* to sub-section (1) of section 70 of the said Act mentioned in the Schedule appended hereto to be a protected system for the purpose of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMAN KUMAR SINGH, Secretary.

SCHEDULE

1. The computers, computer systems, computer networks and computer resources of the Government of Chhattisgarh located in the State of Chhattisgarh and being used for the purpose of administration, management, operation, delivery and implementation of Government programmes, services, schemes, etc.

2. The Government of Chhattisgarh official Internet website http://www.chhattisgarh.gov.in and websites of all Government departments and agencies.

3. Chhattisgarh infotech & biotech Promotion Society (CHiPS) official website http://www.chips.gov.in

4. The Chhattisgarh Government official Intranet website of Digital Secretariat.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2013

क्रमांक–एफ 1–2/56/2013/सू.प्रौ.जै.प्रौ/454.—यतः, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000 का 21) (जो इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 70 की उप–धारा (1) के अंतर्गत जारी शासन की अधिसूचना क्रमांक–एफ 1–2/56/2013/सू.प्रौ.जै.प्रौ/452 दिनांक 27 सितम्बर, 2013 के अधीन, छत्तीसगढ़ शासन ने कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर संसाधन एवं संचार उपकरण, जो कि इससे संलग्न अनुसूची में उल्लिखित अतिसंवेदनशील सूचना अधोसंरचना की सुविधा को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप प्रभावित करते हैं, को सुरक्षित तंत्र घोषित किया है,

एवं यतः, उक्त अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित सुरक्षित तंत्र तक पहुँचने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप–धारा (2) के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित व्यक्तियों को, उन व्यक्तियों के समक्ष कॉलम (2) में उल्लिखित सुरक्षित तंत्र का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमन कुमार सिंह, सचिव.

अनुसूची

सरल क्रमांक	उपकरण	प्राधिकृत व्यक्ति
(1)	(2)	(3)
1	छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ शासन के कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर नेटवर्क तथा कम्प्यूटर संसाधन, जो कि प्रशासन, प्रबंधन, संचालन, वितरण एवं शासकीय कार्यक्रमों, सेवाओं, योजनाओं इत्यादि के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त हो रहे हों।	छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित संबंधित विभाग, अभिकरण, कार्यालय, निकाय या प्राधिकारीगण के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत सभी अधिकारी/ कर्मचारी/व्यक्ति।

(1)	(2)	(3)
2	छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक इंटरनेट वेबसाईट http://www.chhattisgarh.gov.in एवं सभी शासकीय विभागों तथा अभिकरणों की वेबसाईट।	सभी अधिकारी/कर्मचारी/व्यक्ति, जो कि वेबसाईट के संचालन, रखरखाव, विकास या होस्टिंग से संबद्ध हैं।
3	चिप्स की आधिकारिक इंटरनेट वेबसाईट http://www.chips.gov.in.	सभी अधिकारी/कर्मचारी/व्यक्ति, जो कि वेबसाईट के संचालन, रखरखाव, विकास या होस्टिंग से संबद्ध हैं।
4	छत्तीसगढ़ शासन की डिजीटल सचिवालय की आधिकारिक इंटरनेट वेबसाईट।	**(अ)** सभी अधिकारी/कर्मचारी, जो कि उनके संबद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यालयीन कार्यो/प्रयोजनों के लिये इंटरनेट वेबसाईट के उपयोग हेतु प्राधिकृत किये गये हों; **(ब)** ऐसे सभी अधिकारी/ कर्मचारी/व्यक्ति, जो कि इंटरनेट वेबसाईट के संचालन, रखरखाव, विकास अथवा होस्टिंग से संबद्ध हैं।

Raipur, the 27th September 2013

No. F 1-2/56/2013/IT BT/454.— Whereas under Government Notification No.1-2/56/2013/IT BT/452 dated 27th September, 2013 issued under sub-section (1) of Section 70 of the Information Technology Act (No. 21 of 2000) (hereinafter referred to as "the said Act"), the Government of Chhattisgarh has declared the computers, computer systems, computer networks, computer resources and communication devices which directly or indirectly affects the facility of Critical Information Infrastructure mentioned in the Schedule appended hereto, to be a protected system;

And whereas it is necessary to authorise certain persons under sub-section (2) of section 70 of the said Act to access protected systems notified under the said Notification;

Therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 70 of the said Act, the Government of Chhattisgarh hereby authorises the persons mentioned in column (3) of the Table below to access the protected systems respectively mentioned against the said persons in column (2) thereof.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

AMAN KUMAR SINGH, Secretary.

SCHEDULE

Sr. No.	Devices	Authorised Person
(1)	(2)	(3)
1	The computers, computer systems, computer networks and computer resources of the Government of Chhattisgarh located in the State of Chhattisgarh and being used for the purpose of administration, management, operation, delivery and implementation of Government services;	All officers/employees/persons duly authorised by the competent authorities of respective department, agency, office, body or authority owned or controlled by the Government of Chhattisgarh.
2	The Government of Chhattisgarh official Internet website http://www.chhattisgarh.gov.in and websites of all Government departments and agencies.	All officers/ employees/ persons connected with operation, maintenance, development or hosting of the website.
3	The CHiPS official Internet website http://www.chips.gov.in	All officers/ employees/ persons connected with operation, maintenance, development or hosting of the website.
4	The Government of Chhattisgarh official Intranet website of Digital Secretariat	(a) All officers/ employees, who have been duly authorised by their respective competent authorities to access Intranet website for official work/purposes; (b) All such officers/ employees/ persons connected with operation, maintenance, development or hosting of Intranet website.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2013

क्रमांक–एफ 1–2/56/2013/सू.प्रौ.जै.प्रौ/456.— छत्तीसगढ़ शासन का प्रत्येक विभाग छत्तीसगढ़ राज्य में ई–गवर्नेंस प्रणाली के भागीदार के रूप में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी संपत्तियों के संरक्षण के लिये डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग नीति तैयार करने हेतु समस्त प्रयास करेगा।

इस संबंध में लागू नीतियाँ इसके साथ परिषिष्ट में संलग्न हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमन कुमार सिंह, सचिव.

परिशिष्ट

डिजीटल हस्ताक्षर उपयोग नीति

स. क्र.	डिजीटल हस्ताक्षर उपयोग नीति	उत्तरदायित्व
(1)	(2)	(3)
डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससीएस) का उपयोग		
1.	विभाग उन कर्मचारियों के लिये डीएससीएस (स्मार्ट कार्ड /यू.एस.बी टोकन) प्राप्त करेगा जिन्हें उनके कार्यालयीन उपयोग हेतु प्राधिकृत किया गया हो।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष
2.	प्रत्येक मामले के आधार पर विभाग परामर्शदाताओं एवं अन्य संविदा कर्मियों के लिये मामलों पर डीएससीएस प्राप्त कर सकेगा।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष
3.	विभाग सुनिश्चित करेगा कि 256 एस.एच.ए.के साथ 2048 बिट के डीएससीएस जारी किये जाएं।	आई टी प्रषासक
4.	विभाग उन कार्यालयीन कार्य क्षेत्रों को चिन्हित करना, जहां प्राधिकृत कर्मचारी को उसके डीएससी के उपयोग की बाध्यता हो।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष
5.	डीएससीएस या तो एनआईसी या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत प्रमाणीकरण प्राधिकारियों के नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य लाईसेंसी सीए से प्राप्त कर सकेगा।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष
6.	एनआईसी या किसी अन्य लाईसेंसी सीए से डीएससीएस प्राप्त करने हेतु निवेदन विभागीय माध्यम से आगे प्रेषित होंगे।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष
7.	डीएससीएस व्यक्ति के नाम पर जारी होंगे एवं अहस्तांतरणीय होंगे।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष
8.	डीएससीएस के सभी उपयोगकर्ताओं को डीएससीएस के प्रयोग हेतु पर्याप्त रूप में प्रशिक्षित होना चाहिये।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष
9.	विभाग प्राधिकृत कर्मचारियों/परामर्शदाताओं एवं संविदा कर्मियों द्वारा तत्कालीन उपयोग होने वाले सभी डीएससीएस की सूची एवं उनकी समाप्ति की तारीख का संधारण करेगा।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष
10.	डीएससी उपयोगकर्ता को डीएससी की गोपनीयता संधारित करनी होगी एवं उसे अनाधिकृत पहुंच देने डीएस कोई समझौता नहीं करना।	डीएससीएस के सभी उपयोगकर्ता
11.	डीएससी की निजी चाबी की दशा में, कोई समझौता या गोपनीयता भंग होने पर उपयोगकर्ता विभाग को सूचित करेगा।	डीएससीएस के सभी उपयोगकर्ता
12.	डीएससीएस मात्र दो वर्ष की अवधि के लिये जारी होती है एवं बाद में उसका नवीनीकरण किया जाता है। डीएससीएस के ऐसे किसी नवीनीकरण को विभाग द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिये।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष
13.	विभाग सभी डीएससीएस के जारी करने एवं नवीनीकृत किये जाने का अभिलेख संधारित करेगा।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष
14.	किसी मान्यता प्राप्त उपयोगकर्ता (कर्मचारी/परामर्शी या संविदा कर्मी) का विभाग से स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिकीय, निलंबन या सेवा से बर्खास्तगी के उपरांत, ऐसे डीएससी का उपयोगकर्ता ऐसे डीएससी को विभाग में जमा करेगा।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष
15.	विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई प्राधिकृत उपयोगकर्ता, जिसका डीएससी निलंबित या निरस्त/खत्म किया गया हो, वह अपने पद/सेवा से कार्यमुक्ति के पूर्व अपना डीएससी विभाग को वापस लौटाएगा।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष
16.	अप्रयुक्त डीएससीएस विभाग में तालाबंद कर रखे जाएं व उसकी चाबी तथा रिकार्ड संधारित किये जाएं।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष

Raipur, the 27th September 2013

No. F 1-2/56/2013/IT BT/456.—Every Department of the Government of Chhattisgarh shall make all endeavors to formulate Digital Signature Usage Policy to protect their respective IT assets as part of e-Governance in the State of Chhattisgarh.

The applicable policy in this regard is annexed herewith.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

AMAN KUMAR SINGH, Secretary.

ANNEXURE

Digital Signature Usage Policy

S. No.	Digital Signature Usage Policy	Responsibility
(1)	(2)	(3)
Digital Signature Certificats (DSCs) Usage		
1.	Department to procure DSCs (Smart Card/ USB Token) for those employees, who have been duly authorized to use them for official work.	Competent Authority / Head of the Department
2.	Department may procure DSCs for consultants and other contract employees on case to case basis.	Competent Authority/ Head of the Department
3.	Department to make sure that DSCs issued with SHA 256 with 2048 bit.	IT Administrator
4.	Department to identify the official work areas, wherein it is mandatory for the authorized employee to use his/her DSC.	Competent Authority/ Head of the Department
5.	DSCs can be obtained either from NIC or any other licensed CA recognized by the Controller of Certifying Authorities under the IT Act, 2000.	Competent Authority/ Head of the Department
6.	Request to procure DSCs from NIC or any other licensed CA to be routed through the Department.	Competent Authority/ Head of the Department
7.	DSCs to be issued are non-transferable and issued under the name of the person.	Competent Authority/ Head of the Department
8.	All subscribers of DSCs are sufficiently trained to use DSCs.	Competent Authority/ Head of the Department
9.	Department to maintain a list of all DSCs currently in use by authorised employees/ consultants and contract employees and their date of expiry.	Competent Authority/ Head of the Department

S. No.	Digital Signature Usage Policy	Responsibility
(1)	(2)	(3)
Digital Signature Certificats (DSCs) Usage		
10.	Subscriber to a DSC to maintain the confidentiality of DSC and not to compromise DS by giving unauthorized access of the same.	All subscribers of DSCs
11.	In case, private key of a DSC is compromised or confidentiality lost, subscriber to inform the Department.	All subscribers of DSCs
12.	As DSCs are issued only for two years and to be renewed subsequently. Authorization for any such renewal of DSCs should be done by the Department.	Competent Authority/ Head of the Department
13.	Department to maintain record of issuance and renewal of all DSCs.	Competent Authority/ Head of the Department
14.	After transfer, retirement/ superannuation, suspension or termination of services of any authorized user (employee/consultant or contract employee) from the Department, subscriber of such a DSC to deposit his/her DSC with the Department.	Competent Authority/ Head of the Department
15.	Department to make sure that any such authorized user whose DSC has been suspended or cancelled/revoked has handed over his/ her DSC before he/she was relieved from the post/ service.	Competent Authority/ Head of the Department
16.	Department to keep the unused DSCs under lock and key and maintain record of the same.	Competent Authority/ Head of the Department

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2013

क्रमांक–एफ 1–2/56/2013/सू.प्रौ.जै.प्रौ/458.— छत्तीसगढ़ शासन का प्रत्येक विभाग छत्तीसगढ़ राज्य में ई–गवर्नेस प्रणाली के भागीदार के रूप में अपनी आई टी संपत्तियों के संरक्षण के लिये इंटरनेट एवं ई–मेल उपयोग नीति तैयार करने के लिये समस्त प्रयास करेगा।

इस संबंध में लागू नीति यहां संलग्न है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमन कुमार सिंह, सचिव.

परिशिष्ट

इंटरनेट एवं ई–मेल उपयोग नीति

स. क्र.	मूल पहुंच	उत्तरदायित्व
(1)	(2)	(3)
1.	कर्मचारियों / परामर्शदाताओं / संविदाकर्मियों (उपयोगकर्ताओं) कोइंटरनेट पर पहुँचने की सुविधा सक्षम प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से केवल विभाग परिसर के अन्दर अथवा बाहर विभाग के कम्प्यूटर संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना।	समक्ष प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष
2.	लेपटॉप/पीसी/मोबाईल अथवा विभागीय इन्टरनेट संचार साधनों, जो कि तार या बिना तार उपलब्ध करवाये गये हों, से इन्टरनेट पर पहुंच हेतु इस नीति का पालन अनिवार्य है।	सभी उपयोगकर्ता
3.	उपयोगकर्ताओं को केवल ऐसे सॉफ्टवेयर का ही उपयोग पर पहुँचना चाहिये जो कि विभाग द्वारा उपयोग हेतु अनुमोदित है उपयोग करना चाहिये।	समस्त उपयोगकर्ता/ आई टी प्रषासक
4.	नेटवर्क कियाकलापों का लेखा यह सुनिश्चित करने के लिये प्रतिधारित एवं संरक्षित किया जाये कि इंटरनेट सुविधा के दुरुपयोग का पता लगाने के लिये अन्वेषण के साथ पर्याप्त जानकारी मिल सके। लेखाओं का नियमित परीक्षण एवं जांच यह अवधारित करने के लिये की जाये कि अनाधिकृत एवं संदिग्ध गतिविधियाँ उस स्थान पर संचालित की गई हैं।	आई टी प्रषासक
5.	आकस्मिक व यदा–कदा कार्यालयीन इंटरनेट सुविधा निजी उपयोग हेतु अनुज्ञात की जा सकती हैं। तथापि, सूचनाएं व उपयोग विभागीय नीति के अनुसार होंगे।	सभी उपयोगकर्ता
6.	किसी भी उपयोगकर्ता की इंटरनेट पर पहुंच उसके निलंबन, बर्खास्तगी, इस्तीफा अथवा सेवानिवृत्ति होने पर विभाग द्वारा तत्काल बाधित या बंद कर दी जानी चाहिये।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष/ आई टी प्रशासक
इंटरनेट संबद्धता–		
1.	विभाग द्वारा यह सुनिश्चित् हो कि इंटरनेट सुविधा फायरवाल एवं प्राक्सी सर्वर के साथ प्राधिकृत इंटरनेट गेटवे से होकर दी जाये।	आई टी प्रशासक
2.	डाउलोड या अपलोड प्रतिबंध नीति सभी इंटरनेट गेटवे पर लागू की जाये।	आई टी प्रशासक
3.	विभाग द्वारा यह सुनिश्चित् किया जाये कि इंटरनेट पर पहुंच के लिये उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर में गंभीर सुरक्षा खामियाँ न हों।	आई टी प्रशासक
4.	उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल ब्राउजर्स को इस तरह व्यवस्थित किया जाए ताकि वे केवल विश्वसनीय सर्वर से प्राप्त संकेतों को ही स्वीकारें।	आई टी प्रशासक
सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या अपलोड करना–		
1.	उपयोगकर्ताओं को सूचना तकनीकी प्रशासक की पूर्वानुमति के बिना कोई भी सॉफ्टवेयर, टूल्स, यूटीलीटिज (फ्री–वेअर, शेयरवेयर या लाईसेंस) एप्लीकेशन इत्यादि डाउनलोड (या अपलोड) नहीं करना है।	सभी उपयोगकर्ता

(1)	(2)	(3)
2.	विभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही (3 माह) में रेन्डम सेम्पल आधार पर लेपटॉप/पीसीएस का पुनर्विलोकन कर सुनिश्चित किया जाये कि केवल अनुमोदित सॉफ्टवेयर ही उस पर चल रहे हों।	आई टी प्रशासक
स्वीकार्य इंटरनेट प्रयोग–		
1.	समस्त इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इस इंटरनेट प्रयोग नीति के स्वीकार्य होने स्वरूप हस्ताक्षर करने होंगे।	आई टी प्रशासक
2.	उपयोगकर्ताओं द्वारा विभागीय इंटरनेट सिस्टम से किये जाने वाले सभी प्रेषण इस इंटरनेट उपयोग नीति का प्रतिपालन करने वाले हों और इसके परिणाम स्वरूप किसी गोपनीय/वैयक्तिक विभागीय सूचना का अनाधिकृत प्रकटीकरण न होने पाए।	सभी उपयोगकर्ता
वेबसाईट सामग्री पर रोक–		
1.	अनुपयुक्त वेबसाईटों पर उपयोगकर्ताओं की पहुंच को आरंभिक स्तर पर ही रोक दिया जाना चाहिये।	आई टी प्रशासक
2.	यदि किसी उपयोगकर्ता को किसी बाधित/ प्रतिबंधित वेबसाईटों पर पहुंच चाहिये, तो रोक हटाने के कारण सहित सीमित संख्या के उपयोगकर्ता तथा या सीमित कालावधि को दर्शाते हुए उसके द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन सक्षम प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष को दिया जायेगा।	सभी उपयोगकर्ता/ सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष/ आई टी प्रशासक
3.	विभागीय इंटरनेट कनेक्शन पर पहुंच को नियंत्रित करने वाले सुरक्षा प्रतिबंधों की किसी भी प्रकार की अनदेखी करने या किसी को ऐसा करने के लिये उकसाने अथवा प्रयास करने वाला उपयोगकर्ता कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अध्याधीन होगा।	सभी उपयोगकर्ता
मोबाईल/संचार उपकरण इंटरनेट पहुंच–		
1.	उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने लैपटॉप/पीसीएस हेतु किन्हीं मोबाईल/संचार साधनों से इंटरनेट कनेक्शन नहीं लिया जाए, जब तक कि ऐसी पहुंच व उपकरण सूचना तकनीकी प्रशासक द्वारा अनुमोदित न की गई हो।	सभी उपयोगकर्ता
2.	कोई भी उपयोगकर्ता जिसका मोबाईल या संचार साधन इन्टरनेट पर संबद्धता के लिये अधिकृत किया गया है, को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह समकालिन विभागीय इंटरनेट नेटवर्क का लैन या अन्य किसी माध्यम द्वारा प्रयोग नहीं करेगा।	सभी उपयोगकर्ता
ई–मेल उपयोग नीति–		
1.	विभाग ई–मेल का प्रयोग केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु उपलब्ध करायेगा। समस्त ई–मेल संदेश जो प्रेषित अथवा प्राप्त किये गये हैं, विभाग के अभिलेख माने जायेंगे। ऐसे अभिलेखों की किसी भी समय जांच/लेखा किये जाने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा। उपयोगकर्ताओं द्वारा निजता के अधिकारों का त्याग हो जाता है, जब वे कार्यालयीन कम्प्यूटर संसाधनों, जो विभाग द्वारा उपलब्ध हैं, का प्रयोग करते हैं।	सभी उपयोगकर्ता
2.	आकस्मिक व कभी–कभार कार्यालयीन ई–मेल सिस्टम के निजी प्रयोग के लिये अनुमति होगी। तथापि, सूचना एवं संदेश जो कार्यालीयन ई–मेल प्रणाली में संचित हैं, को कार्यालय संबंधी सूचना की तरह ही बरता जा सकेगा तथा उसे प्रतिधारित, संरक्षित, निगरानी अथवा संबद्ध प्राधिकारियों को प्रकटीकरण (यदि आवश्यक हो) तो किया जा सकेगा।	सभी उपयोगकर्ता

(1)	(2)	(3)
3.	सार्वजनिक ई–मेल सिस्टम का उपयोग (यथा याहू, जी मेल, रेडिफमेल इत्यादि) कार्यालयीन संवाद के लिये प्रतिबंधित होंगे, जबकि अधिकृत कार्यालयीन ई–मेल पहले से ही उपलब्ध हैं।	सभी उपयोगकर्ता
4.	उपयोगकर्ताओं को आंतरिक ई–मेल, बाहरी ई–मेल यथा याहू, जी मेल, रेडिफमेल इत्यादि के स्वचलित अग्रेषण का न तो उपयोग करना है न ही ऐसी सुविधा को कार्यशील करना है।	सभी उपयोगकर्ता
प्राधिकृत उपयोगकर्ता–		
1.	समस्त ई–मेल उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत इस ई–मेल नीति एवं जुड़े हुए स्वीकार्य उपयोग वाले दस्तावेज के लिये प्रतिबद्ध होना होगा व हस्ताक्षर करना होगा।	सभी उपयोगकर्ता/ मानव संसाधन विभाग
2.	उपयोगकर्ताओं द्वारा विभागीय ई–मेल प्रणाली का प्रयोग करते हुए प्रेषित सभी संवाद, विभागीय इंटरनेट उपयोग नीति के अनुरूप होंगे और परिणास्वरूप कोई गोपनीय/वैयक्तिक विभागीय सूचना का अनाधिकृत प्रकटीकरण नहीं होगा।	सभी उपयोगकर्ता
ई–मेल उपयोग नीति–		
	संवेदनात्मक सूचनाओं का प्रसारण	
1.	ई–मेल सिस्टम को निजता व सुरक्षा की गारंटी देने वाली सूचना/संवाद का सुरक्षित व भरोसेमंद तरीका नहीं माना जाए। जब संवेदनशील सूचना को भेजने का समय मान्य/अनुज्ञप्तिधारी कोड (इनक्रिप्शन) उत्पादों/टूल्स, जिसमें डिजीटल हस्ताक्षर (लाईसेंसी/ सर्टिफाईड अथॉरिटी) भी सम्मिलित है, का उपयोग किया जा सकता है।	सभी उपयोगकर्ता
	ई–मेल फूटर	
1.	कार्यालयीन ई–मेल सिस्टम के माध्यम से प्रेषण की जाने वाली व सभी बाह्य आऊटगोईंग इन्टरनेट ई–मेल के अंत में विधि विभाग से अनुमोदित उपयुक्त दावा अमान्य स्वतः जुड़ जाने वाले फूटर स्वरूप कार्यशील हो। आगे यह कि, विभागीय प्रायोजनों के लिये सार्वजनिक ई–मेल सुविधा के उपयोग की दशा में ई–मेल (याहू,जी मेल रेडिफमेल इत्यादि) जहां कार्यालयीन ई–मेल सुविधा उपलब्ध न हो, वहाँ भी इसी प्रकार का दावा अमान्य फुटर का इस्तेमाल होगा।	आंई टी प्रशासक/ मानव संसाधन विभाग
	कार्यालयीन ई–मेल सिस्टम	
1.	कार्यालयीन ई–मेल सिस्टम पर प्राप्त होने वाले सभी ई–मेल व वायरस व अन्य कम्प्यूटर संक्रमण सॉफ्टवेयर, जिसमें भी स्पाईवेयर सम्मिलित है, के स्केन किये जा सकेंगे।	आई टी प्रशासक
2.	उपयोगकर्ता द्वारा की जाने वाली लॉग–इन व लॉग–आउट का लॉग रखा जायेगा। नियमित अंतरालों पर इनका निरीक्षण किया जायेगा, तथा संबंधित कार्यवाही परिणामों पर आधारित होगी।	आई टी प्रशासक
3.	सभी आने/जाने वाली ई–मेल के वायरस व अन्य दूषित समावेशों स्केन किया जायेगा। मेल–सर्वर नये सेवा संस्करणों/पेंच से समय–समय पर अद्यतन किया जायेगा।	आई टी प्रशासक
	ई–मेल प्रबंधन	
1.	सभी ई–मेल उपयोग कर्ताओं को विभाग में केवल एक ई–मेल आई–डी उनके नाम से प्रदान की जायेगी। उपयोगकर्ता को उसके विभाग/कार्य अथवा पदनाम को दर्शाते हुए एक ई–मेल आई–डी संबंधित सक्षम प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष की अनुमोदन से उपलब्ध होगी।	आई टी प्रशासक

(1)	(2)	(3)
2.	उपयोगकर्ता की ई–मेल आई–डी उसके विभाग से निलंबन, बर्खास्तगी, इस्तीफा अथवा सेवानिवृत्ति होने पर तत्काल बंद कर दी जानी चाहिये।	सक्षम प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष/ आई टी प्रशासक
3.	समस्त ई–मेल के साथ संलग्नकों को खोलने से पूर्व उसके वायरस की जांच करना आवश्यक है। उपयोगकर्ताओं को ऐसे ई–मेल संलग्नकों को तब तक नहीं खोलना चाहिये, जब तक कि विषय सूची एवं भेजने वाले के प्रति आश्वस्त नहीं हो जाते।	सभी उपयोगकर्ता
4.	कार्यालयीन मेल सिस्टम का उपयोग गैर कार्यालयीन कार्यों जैसे कि बहुतायत मेल, संलग्नक/ आडियो–वीडियो फाईलों इत्यादि के प्रेषण हेतु न किया जाये।	सभी उपयोगकर्ता
5.	उपयोगकर्ताओं को स्वतः अग्रषेण द्वारा अपने ई–मेल किसी व्यक्तिगत ई–मेल आईडी पर न भेजा जाए।	सभी उपयोगकर्ता
	मेल बॉक्स ई–मेल साईज की सीमा	
1.	मेल बाक्स की क्षमता उपयोगकर्ताओं की कार्यालयीन आवश्यकतानुसार होगी। वृहद मेल बाक्स के आवेदन की दशा में इसे सक्षम प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष से प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है।	आई टी प्रशासक
2.	उपयोगकर्ताओं को सभी संलग्नक, जो मेल के साथ प्रेषित हो, को कंम्प्रेस मोड/जिप प्ररूप में ही भेजने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।	आई टी प्रशासक

इंटरनेट व ई–मेल के स्वीकार्य उपयोग–

विभाग द्वारा उपलब्ध इंटरनेट व ई–मेल सुविधा का उपयोग, केवल कार्यालयीन एवं अधिकृत उद्देश्यों के लिये किया जायेगा।

एक. **ई–मेल व इंटरनेट के स्वीकार्य उपयोग–** विभाग की इंटरनेट एवं ई–मेल सुविधाएं उपयोगकर्ता के कार्य विवरण व संबंधित उत्तरदायित्वों के अनुसार केवल कार्यालयीन प्रयोग के लिये आशयित हैं। तथापि, उपयोगकर्ताओं को कभी कभी इंटरनेट एवं ई–मेल के निजी उपयोग की अनुमति दी गई है।

दो. **इंटरनेट के अस्वीकार्य उपयोग–** विभाग की इंटरनेट एवं ई–मेल सुविधाऐं, ऐसी किसी सूचना के प्रकाशन, प्रसारण, सृजन, सरलीकरण अथवा संचय करने वाली, अपमानजनक, अश्लील, कामोत्तेजक, बच्चों के विरूद्ध कुत्सित भावना वाले मिथ्या कथन, निंदक, दूसरे की निजता में सेंध करने वाली, घृणास्पद, किसी ट्रेड मार्क, कॉपीराईट या अन्य वैयक्तिक अधिकारों का हनन करती हो तथा जो अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का उल्लंघन करती हो।

तीन. **संचार–** प्रत्येक उपयोगकर्ता विभाग के इंटरनेट एवं ई–मेल सुविधा के अन्तर्गत उसके द्वारा होने वाली खोज, पहुंच, उपयोग, संपर्क अथवा प्रेषण की सामग्री, जिसमें लेखन, श्रवण अथवा काल्पनिक चित्र के लिये उत्तरदायी होगा। कोई ई–मेल या अन्य संचार, जो जानबूझकर या आशयपूर्वक भेजने वाले की पहचान को छिपाता हो, प्रेषित नहीं करेगा। कोई संदेश, सूचना या संचार, जो उपयोगकर्ता के द्वारा विभाग के बाहर के इंटरनेट एवं ई–मेल सुविधाओं का प्रयोग करते हुए प्रकाशित या प्रसारित होते हैं, वे विभागीय संदेश, सूचना या संचार माने जायेंगे। अतएव ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं को ऐसी सुविधाओं के वैयक्तिक उपयोग अथवा गैर कार्यालयीन उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिये।

चार. **सॉफ्टवेयर**— सूचना तकनीकी प्रशासक की पूर्वानुमति के बिना कोई भी सॉफ्टवेयर, कोड या एप्लीकेशन को इंटरनेट से डाउनलोड या अपलोड का कार्य उपयोगकर्ता नहीं करेगा।

पांच. **कॉपीराईट मामले**— विभागीय इंटरनेट व ई मेल सुविधा का प्रयोग कर कोई उपयोगकर्ता ऐसी सामग्री, जिस पर विभाग से भिन्न किसी तृतीय पक्ष का कॉपीराईट अधिकार हो, किसी भी परिस्थिति में प्रकाशित या संचारित नहीं करेगा। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि उन्हें सभी कॉपीराईट अधिकारों का सम्मान करना चाहिये। कॉपीराईट स्वामी की अथवा जैसा कि उपयुक्त विधि के अर्न्तगत अनुमति दी जाये के सिवाय कॉपीराईट सामग्रियों की कॉपी, पुर्नप्राप्ति, संशोधन या अग्रेषण न करें। ऐसी सुविधा का प्रत्येक उपयोगकर्ता अनुज्ञप्ति करार की ऐसी के सभी शर्तों व निबंधनों का पालन करेगा।

छः **सोशल नेटवर्किंग साईट्स/ब्लॉग्स/ ट्वीटर/ एप्लीकेशन इत्यादि**— उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने वेब प्रोफाइल पेज का उपयोग, विभाग की नीतियों, वरिष्ठों, सहकर्मियों के उपयोग इत्यादि से संबंधित सूचनाओं के प्रकाशन या प्रसारण या टिप्पणी या प्रकटीकरण हेतु नहीं किया जायेगा।

सात. **सुरक्षा एवं निजता**— विभाग अपने ई–मेल/इंटरनेट सुविधाओं के उपयोग के तौर तरीकों की नियमित देखरेख करेगा। सभी निर्मित, प्रेषित, या पुनः प्राप्त संदेश, जो कि विभागीय ई–मेल/इंटरनेट सुविधा कार्यों विभाग की संपत्ति हैं, जिन्हें निजी सूचना नहीं समझा जाना चाहिये। उपयोगकर्ता के सभी संदेश और फाईल जो कि उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई ई–मेल/इंटरनेट सुविधा के द्वारा प्राप्त या प्रेषित किये जाते हैं, इसकी पहुंच एवं निगरानी का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।

आठ. **उल्लंघन**— कोई भी उपयोगकर्ता जो इंटरनेट/ई–मेल सुविधा का दुरुपयोग करता है, वह विभागीय नीतियों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के अध्यधीन होगा।

नौ. **प्रयोजनीयता**— यह नीति विभागीय इंटरनेट/ई–मेल सुविधा के सभी उपयोगकर्ताओं पर लागू होती है।

दस. **क्षतिपूर्ति**— उपयोगकर्ता विभाग के सक्षम प्राधिकारी तथा विभागाध्यक्ष को विभागीय इंटरनेट/ई–मेल सुविधा के प्रयोग में उसके द्वारा की गई किसी दीवानी या आपराधिक गलतियों की क्षतिपूर्ति करेगा।

Raipur, the 27th September 2013

No. F 1-2/56/2013/IT BT/458.— Every Department of the Government of Chhattisgarh shall make all endeavors to formulate Internet & E-mail usage policies to protect their respective IT assets as part of e–Governance in the State of Chhattisgarh.

The applicable policies in this regard are annexed herewith.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMAN KUMAR SINGH, Secretary.

ANNEXURE

Internet Usage Policy

S. No.	Basic Access	Responsibility
(1)	(2)	(3)
1.	The facility to access Internet to be provided to employees / consultants / contract employees (users) for official use only within the premises of the Department or from outside through department's computer resources after prior approval from the Competent authority / Head of the Department.	Competent authority/ Head of Department
2.	Access to the Internet from laptop/ PC/ mobile device or communication device through department's Internet connections which are made available by wired or wireless means must adhere to this policy.	All users
3.	Users must only access the Internet using software which has been approved for use by the Department.	All users/ IT Administrator
4.	An audit trail of activities on the network must be retained and preserved to ensure that an adequate amount of information can be captured to assist with investigations to detect misuse of Internet facility. Audit trail logs should be examined on a regular basis to determine if unauthorized or suspicious activity has taken place.	IT Administrator
5.	Incidental and occasional personal use of official Internet access is permitted. However, information and the usage shall be in accordance with department policy.	All users
6.	Internet access to any user upon his/ her suspension, termination, resignation or superannuation from the Department to be blocked immediately.	Competent Authority/ Head of Department/ IT Administrator
Internet Connections		
1.	Department to ensure that its Internet facility must pass through authorized Internet gateways equipped with firewall and a proxy server.	IT Administrator
2.	Download or upload restrictions must be implemented on all Internet gateways.	IT Administrator
3.	Department to ensure that software used by users to access the Internet does not contain serious security weaknesses.	IT Administrator

S. No.	Basic Access	Responsibility
(1)	(2)	(3)
4.	The browsers at users end to be configured to accept applets only from trusted servers	IT Administrator
Downloading or Uploading of Software		
1.	Users must not download (or upload) any software, tools, utilities (freeware, shareware, or licensed), applications etc. from the Internet without prior permission from IT Administrator.	All users
2.	The Department must review laptops/ PCs by undertaking a random sample every quarter (3 months) to verify that only approved software are installed.	IT Administrator
Internet Acceptable Use		
1.	All users having Internet access must sign this Internet Usage Policy indicating their acceptance of the same.	IT Administrator
2.	All communications sent by users using the Department Internet system must comply with this Internet Usage policy and must not result in unauthorized disclosure of any confidential/ proprietary information of the Department.	All users
Website/Content Blocking		
1.	Users must be blocked at the proxy level from accessing Web Sites that are deemed inappropriate.	IT Administrator
2.	In case a user is required to access any of the blocked / restricted web sites, he/ she should submit a signed request to the Competent Authority/ Head of Department giving reason for unblocking the website for limited number of users and/ or for a limited timeframe.	All users/ Competent Authority/ Head of Department/ IT Administrator
3.	Any user bypassing or attempting or abetting anyone to bypass the restrictions imposed by the security controls governing access to the internet by any means while using Department Internet connection shall be subject to strict disciplinary actions.	All users
Mobile/ Communication Devise – Internet Access		
1.	Users not to connect their laptops/ PCs to the Internet using any mobile/ communication devices, unless such access and the devices have been approved by IT Administrator.	All users
2.	Any user authorized to use mobile or communication devices to connect to the Internet, must ensure that he / she is not connected to Department's Internet network simultaneously through LAN or any other means.	All users

S. No.	E-mail Usage Policy	Responsibility
(1)	(2)	(3)
	E-mail Usage Policy	
1.	The Department provided e-mail access is for official use only. All e-mail messages sent or received shall be considered as records of the Department. Department reserves the right to inspect/ audit such records at any point of time. Users have waived their right to privacy while using official computer resources provided by the Department.	All users
2.	Incidental and occasional personal use of official e-mail system is permitted. However, information and messages stored in official e-mail systems shall be treated in the same manner as office-related information and may be retained, preserved, monitored, or revealed to relevant authorities (if required).	All users
3.	Use of public e-mail system (e.g. yahoo, gmail, rediffmail etc.) for official communication is prohibited when official e-mail has already been provided.	All users
4.	Users must not use or enable automatic forwarding functions to forward internal e-mail to external e-mail systems (e.g. yahoo, gmail, rediffmail etc.).	All users
Authorised Users		
1.	All e-mail users must sign and commit to this e-mail Usage Policy and accompanying Acceptable Use document.	All users/ HR department
2.	All communications sent by users using the Department email system to comply with the Department's Internet Usage Policy and not to result in unauthorized disclosure of any confidential / proprietary information of Department.	All users
Transmission of Sensitive Information		
1.	E-mail systems must not be considered as a reliable and secure mode of information/ communication transmission guaranteeing privacy and security. While sending sensitive information approved/ licensed encryption products/ tools, including digital signatures (from licensed CAs) can be used.	All users
E-mail Footer		
1.	All external outgoing Internet e-mails sent through official e-mail systems to carry an automatic appropriate disclaimer as e-mail footer duly approved by the legal department. Further, in case of use of public e-mail systems (yahoo, gmail, rediffmail etc.) for official purposes, where official e-mail system has not been provided a similar disclaimer in the form of e-mail footer to be used.	IT Administrator/ HR Department

S. No.	Basic Access	Responsibility
(1)	(2)	(3)
Official E-mail System		
1.	All incoming mails on the official e-mail systems must be scanned for viruses and other computer contaminants, including spy ware.	IT Administrator
2.	User login and logouts will be logged. Logs will be reviewed periodically and relevant action will be taken based on the findings	IT Administrator
3.	All Incoming / Outgoing e-mails will be scanned for viruses and other malicious content. The mail server will be periodically updated with the latest service packs/ patches.	IT Administrator
E-mail Management		
1.	All e-mail users in the Department to be provided with only one named e-mail ID. Users may be provided with an e-mail ID representing the Department / Function or designation on approval of respective Competent Authority/ Head of Department.	IT Administrator
2.	E-mail ID of a user upon his/ her suspension, termination, resignation or superannuation from the Department to be revoked immediately.	Competent Authority/ Head of Department/ IT Administrator
3.	All e-mail attachments must be scanned for viruses before opening it. User must not open E-mail attachments unless they are sure about its contents and know their senders.	All users
4.	The official mail system not to be used to send non – official bulk mails, attachments/ audio-video files, etc.	All users
5.	Users not to auto forward their e-mails to any personal e-mail ID.	All users
Mail box/ E-mail Size Limitations		
1.	Mailbox capacity should be as per the official requirement of the user. In case of request of larger mail box the same should be authorized by the Competent Authority/ Head of Department.	IT Administrator
2.	Users to be encouraged to send all attachments to mails in a compressed mode/ zipped format.	IT Administrator

Acceptable Use of Internet &E-mail

The use of Internet and e-mail facilities provided by the Department shall be used for official and authorized purposes only.

I. **Acceptable uses Internet & e-mail:** Department's Internet and e-mail facilities are intended for official use only in accordance with the user's work profile and related

responsibilities. However, users are permitted occasional personal use of Internet and e-mail.

II. **Unacceptable uses of the Internet and Internet:** Department's Internet and e-mail facilities may not be used for publishing, transmitting, creating, facilitating or storing of any information which is grossly harmful, harassing, blasphemous, defamatory, obscene, pornographic, paedophilic, libellous, invasive of another's privacy, hateful, infringing any trademark, copyright or other proprietary rights, impersonates another person, or violative of any law for the time being in force.

III. **Communications:** Each user is responsible for any content including text, audio or images or any combination thereof that they search, access, use, communicate or send over the Department's Internet and e-mail facility. No user shall send any e-mail or other communications, which may knowingly or intentionally, hides the identity of the sender.

Any messages, information or communication published or transmitted by a user to another individual outside using Department's Internet and e-mail facility are deemed to be the messages, information or communication of the Department, hence all such users shall be careful while using such facilities for personal use or non-official work. For any inappropriate use of such facilities, users shall be held solely responsible.

IV. **Software:** Users must not download or upload any software, code or applications from the Internet without seeking prior permission from the IT Administrator.

V. **Copyright Issues:** Copyrighted materials belonging to any third party other than the Department under no circumstances be published or transmitted by any user using Department Internet and e-mail facility. Users are advised that they should respect all copyrights and may not copy, retrieve, modify or forward copyrighted materials, except with permission of the copyright owner, or as may be permitted under the appropriate law. Each user of such facility shall observe all terms and conditions of the license agreement, under which the license to use any copyrighted work has been obtained.

VI. **Use of Social Networking Sites/ blogs/ twitter/ applications etc.:** Users not to use their web profile pages for publishing or transmitting or commenting or disclosing information related to Department's policies, superiors, co-workers, etc.

VII. **Security and Privacy:** Department will routinely monitors usage patterns for its e-mail/ Internet facility. All messages created, sent, or retrieved over the Department's e-mail/ Internet facility are the property of Department and should not be considered private information. Department reserves the right to access and monitor all messages and files of the user sent or received on e-mail/Internet facility provided by the Department.

VIII. **Violations:** Any user, who misuses Internet/ e-mail facility shall be subject to disciplinary action in accordance with Department's policies.

IX. **Applicability:** This policy is applicable to all users of Department's Internet / e-mail facility.

X. **Indemnifies**: The user indemnifies the Department, the Competent Authorities, and Head of Departments against any civil or criminal wrong committed by him/her while using Department's Internet/e-mail facility.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2013

क्रमांक–एफ 1–2/56/2013/सू.प्रौ.जै.प्रौ/460.— वीडियो **कान्फ्रेंसिंग** सुविधा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रशासन में दक्षता व दायित्व बोध में सुधार हेतु की गई सरकार से सरकार (जी 2 जी) की पहल है। सभी शासकीय विभाग इसमें हिस्सेदार हैं।

राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 2 सितम्बर, 1995 के अनुसार, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी), भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऐसे सार्वजनिक एवं निजी संस्थान की सहायता करने में समर्थ होंगे, जो राष्ट्रीय महत्व की प्रेरक गतिविधियों/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के उपयोगकर्ता/हितग्राही हों या उसमें लगे हुए उपकरण/सुविधायें हों, जैसे:

- सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ, शासकीय निकाय, स्वायत्तशासी व सहकारी समितियाँ, अर्द्धशासकीय संस्थाएं।
- केन्द्रीय योजनाएं, केन्द्र पोषित योजनाएं, राज्य की योजनाएं एवं सहायता प्राप्त योजनाएं।
- अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थाएं, वाचनालय।
- स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण।
- न्यायालय, लोक अदालत, विधिक सूचना तंत्र।
- विकेन्द्रित योजनाएं व पंचायती राज संस्थाएँ।
- ग्रामीण विकास परियोजना, समर्थक परियोजना एवं स्वैच्छिक संगठन संस्थान।
- संसद, सांसद, विधानसभाएं, विधानसभा सदस्य।
- महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम।
- निर्यातक, निर्यात प्रोत्साहन एवं निर्यात समर्थन संगठन।
- लोक सेवा परीक्षाएं।
- जल प्रबंधन एवं सिंचाई सूचना तंत्र।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों के लिये दीर्घकालिक विकास परियोजनाएं एवं कार्यक्रम।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर तबके का कल्याण।
- पिछड़े क्षेत्र का विकास।
- इस्पात, कोयला, ऊर्जा, सीमेंट एवं परिवहन क्षेत्र।

- शासकीय डाटाबेस का विपणन।
- पर्यटन उद्योग।

छत्तीसगढ़ शासन, शासकीय विकास कार्यक्रमों एवं नीति पहल का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिये राज्य में छत्तीसगढ़ स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (सी जी स्वान) एवं एन आई सी नेटवर्क (एन आई सी नेट) के द्वारा उपलब्ध की गई वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा के प्रयोग हेतु एवं उस समय प्रशासन में बेहतर सामंजस्य, जवाबदेही एवं पारदर्शिता लाने हेतु उपरोक्त सभी विभागों, कार्यालयों को सशक्त करता है।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में, सरकार के ऐसे सभी विभाग/कार्यालय इन वेबसाईटः http://vidconf.nic.in यां http://cgswan.gov.in पर संबंधित जानकारी एवं विवरण हेतु पहुंच सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमन कुमार सिंह, सचिव.

Raipur, the 27th September 2013

No. F 1-2/56/2013/IT BT/460.— Video Conference facility is a Government to Government (G2G) initiative of the Government of Chhattisgarh to improve efficiency and responsiveness in administration. All Government Departments are stake holders.

As per the Gazette notification dated 2nd September 1995, National Informatics Centre (NIC), Ministry of Communications & Information Technology, Government of India shall be able to support public and private organizations which are users/ beneficiaries of or implements/ franchisers engaged in the promotional activities/ projects/ programmes of national importance like:

- Public Sector Units, Government bodies, Autonomous & Co-operative Societies, Semi-Government Organizations.
- Central Schemes, Centrally Sponsored Schemes, State Schemes and Aided Projects.
- Research and Educational Institutions, Libraries.
- Health, Medical & Family Welfare.
- Courts, Lok Adalats, Legal Information Systems.
- Decentralized Planning and Panchayatiraj Institutions.
- Rural Development Projects, Supporting Projects and Voluntary Organizations.
- Parliament, Parliamentarians, Legislative Assemblies, Member of Legislative Assembly.
- Women and Child Welfare Programmes.

- Exporters, Export Promotion and Export-Support Organizations
- Public Service Examinations.
- Water Management and Irrigation Information Systems.
- Sustainable Development Projects and Programmes for people below poverty line.
- Welfare of SC/ST and other Weaker Sections.
- Backward Area Development.
- Steel, Coal, Power, Cement and Transport Sectors.
- Marketing of Government Databases.
- Tourism Industry

The Government of Chhattisgarh empowers all aforesaid Departments/ Offices to use video conferencing facility provided by Chhattisgarh State Wide Area Network (CGSWAN) and NIC Network (NICNET) in the State in order to provide efficient implementation of the Government's developmental programmes and policy initiatives and at the same time bringing better coordination, accountability and transparency in administration.

All such Department/ Offices of the Government in order to avail video conferencing facility may access website: http://vidcon.nic.in or http://cgswan.gov.in for relevant information and details.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMAN KUMAR SINGH, Secretary.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2013

क्रमांक/9767/3430/21-ब/छ.ग. /2010.—राज्य शासन, द्वारा श्री चेतन दास माधवानी नोटरी, बिलासपुर (छ.ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-32/दो-गृह/भापुसे/2013.—इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ 1/27/दो-गृह/भापुसे/2011, दिनांक 10-04-2013 जिसके द्वारा श्री के. के. अग्रवाल, भा.पु.से., सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 17-04-2013 से 10-05-2013 (24 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 11 एवं 12-05-2013 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी गई है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करते हुये श्री के. के. अग्रवाल, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (गुप्तवार्ता) पुलिस मुख्यालय, रायपुर को 17-04-2013 से 11-07-2013 तक (86 दिन) लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

3. श्री अग्रवाल, भापुसे. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर, श्री के. के. अग्रवाल, भा.पु.से., सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु.मु. रायपुर, छ.ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. अग्रवाल, भा.पु.से., सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु.मु. रायपुर, छ.ग. अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 7-37/2013/12.—राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-06-2013 जो कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 21-06-2013 को प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की प्रथम पंक्ति में "दिनांक 18-02-2012" के स्थान पर "दिनांक 18-02-2002" तथा द्वितीय पंक्ति में "खनिज रीति" के स्थान पर "खनिज नीति" प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 21-03/2003/नौ/55.—छत्तीसगढ़ राज्य के लिये लागू हुए रूप में प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम क्र. 57) की धारा 15 सहपठित धारा 17 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. एफ 21-3/2003/नौ/55, दिनांक 13 मई, 2003 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नानुसार तीन सदस्यीय राज्य स्तरीय समुचित प्राधिकारी नियुक्त करती है :—

1.	संचालक (पदेन) स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़	—	अध्यक्ष
2.	उप सचिव (पदेन) छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग	—	सदस्य
3.	डॉ. जयश्री दवे, रायपुर (पूर्व संयुक्त संचालक)	—	सदस्य

No. F 21-03/2003/NINE/55.—In exercise of the powers conferred by Section 15 read with clause (a) of sub-section 3 of Section 17 of the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (Act No. 57 of 1994), in its application to the State of Chhattisgarh and in supersession of previous Notification No. F 21-3/2003/IX/55, dated 13th May, 2003 of this Department, the State Government, hereby, appoints three member State Level Appropriate Authority, as follows :—

1.	Director (Ex-Officio) Health Services, Chhattisgarh	—	Chairman
2.	Deputy Secretary (Ex-Officio) Government of Chhattisagrh, Law Department.	—	Member
3.	Dr. Jaishree Dave, Raipur (Ex-Joint Director)	—	Member

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक-एम. पी./3799 को दिनांक 28-06-2013 से 28-08-2013 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 8-1/2012/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स एन.एस.पी.सी.एल. (एन.टी.पी.सी. सेल पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड), पुरैना, भिलाई, जिला दुर्ग के बॉयलर क्रमांक-M.P./3520 को दिनांक 07-06-2013 से 06-08-2013 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलरों को नीचे दर्शाये अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

क्रमांक	बॉयलर क्रमांक	छूट की अवधि
1.	एम.पी./3224	दिनांक 31-08-2013 से 31-10-2013 तक
2.	एम.पी./3657	दिनांक 18-09-2013 से 17-03-2014 तक
3.	एम.पी./3530	दिनांक 22-08-2013 से 27-08-2013 तक (कार्योत्तर स्वीकृति)

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 30 मार्च 2013

क्रमांक/1508/भू-अर्जन/कले./2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	सोनपुर	2.18	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, उत्तर •स्तर कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण योजना हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक/686/8 अ-82/वर्ष 2012-2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	रीवागहन प.ह.नं. 52	0.04	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	सिलौटी, ठेकवा चारभाठा, सुरपा-टेमरी पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	घोठला छोटे प. ह. नं. 7	17.939	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्रमांक 1 खरसिया, जिला-रायगढ़.	साराडीह बैराज के डूब क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	जमरगा प. ह. नं. 04	0.763	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़.	जमरगा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	सरिया प. ह. नं. 05	1.257	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़.	जमरगा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	जमाबीरा प. ह. नं. 28	3.455	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़.	जमाबीरा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर चैन क्र. 0 से 73 तक के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक/6924/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	अउरदा प. ह. नं. 5	1.395	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	अउरदा से दर्रा मार्ग पर सोनबरसा नाला पर पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक/6925/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	दर्रा प. ह. नं. 5	0.457	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	अउरदा से दर्रा मार्ग पर सोनबरसा नाला पर पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक/6926/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	धनगांव प. ह. नं. 35	1.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान, जिला-राजनांदगांव.	धनगांव एनीकट कम काजवे अंतर्गत बांध पार एवं सड़क निर्माण निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 13 सितम्बर 2013

रा.प्र.क्र./15/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	बेलदगी	1.298	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	बेलदगी जलाशय के दायीं तट एवं बायीं तट के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 13 सितम्बर 2013

रा.प्र.क्र./16/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	अमदला	1.590	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	बेलदगी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

रा.प्र.क्र./14/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	बेलदगी	2.004	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	बेलदगी जलाशय के बांध लाईन, डूब क्षेत्र एवं स्पील चैनल हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./16/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	मांढर प. ह. नं. 22	766/11 766/12 836/1	0.061 0.061 0.202	अपर संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर	औद्योगिक प्रयोजन हेतु रेल्वे साइडिंग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			839/2	0.020		
		योग	4	0.344		

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक 355/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 42/अ-82/वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	पलौद प. ह. नं. 21	1618	0.12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में लेयर-02 में सेक्टर-3 रोड निर्माण कार्य के लिए.
		योग		0.12		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक 356/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 40/अ-82/वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	पलौद प. ह. नं. 21	53/1	0.12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में योजना क्षेत्र अन्तर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य के लिए.
			53/2	0.24		
			140/3	0.14		
			258	0.03		
			267	0.04		
			1444	0.87		
			1618	0.49		
			1782	0.25		
		योग	8	2.18		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक 358/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 37/अ-82/वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	छतौना प. ह. नं. 73/16	138	0.47	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में योजना क्षेत्र (लेयर-01) के अन्तर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य के लिए.
			151	0.81		
			158	0.26		
			167	0.18		
			168	0.47		
			169	0.92		
			171/1	0.20		
			172	0.25		
			178/2	0.81		
		योग	9	4.37		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2013

क्रमांक 370/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 44/अ. 82 वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	उपरवारा प. ह. नं. 137/16	2894/2	1.10	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय के अन्तर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य के लिए.
		योग		1.10		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्रमांक 371/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 45/अ. 82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	उपरवारा प. ह. नं. 137/16	1317	0.10	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर क्षेत्र के योजना क्षेत्र हेतु.
			1337	0.08		
			1338/1	0.20		
			1338/2	0.05		
			1338/3	0.14		
			1507	0.06		
			1511/1	0.03		
			1511/2	0.03		
			1513	0.04		
			1514	0.05		
			2463	0.20		
			2616	0.05		
			2617/1	0.19		
			2617/2	0.03		
			2618	0.15		
			2619	0.17		
			2620	0.05		
			2625	0.09		
			2626/1	0.03		
			2626/2	0.02		
			2627	0.06		
			2628/1	0.06		
			2628/2	0.05		
			2628/3	0.05		
			2629	0.06		
			2630	0.13		
			2631	0.04		
			2632	0.09		
			2633/1	0.03		
			2633/2	0.02		
			2633/3	0.02		
			2633/4	0.03		
			2634	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			2635	0.16		
			2636/2	0.06		
			2637	0.10		
			2638/1	0.02		
			2638/2	0.03		
			2638/3	0.03		
			2639/1	0.04		
			2639/2	0.04		
			2640	0.04		
			2641	0.02		
			2643	0.03		
			2644	0.04		
			2645/1	0.03		
			2645/2	0.03		
			2646	0.01		
			2647	0.10		
			2648	0.01		
			2649	0.01		
			2655	0.04		
			2656	0.09		
			2657	0.03		
			2684	0.05		
			2685	0.02		
			2688	0.02		
			2894/1	2.00		
			2894/2	0.82		
			2910/1	0.11		
			2911/1	0.48		
			2912	0.26		
			2913	0.27		
			2914/1	0.99		
			2915	0.95		
			2916	0.35		
			2917	0.08		
			2918	0.10		
			2919	0.12		
			2920	0.05		
			2921	0.32		
			2922	0.04		
		योग	72	10.43		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्रमांक 10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	बिरकोनी प. ह. नं. 40	0.97	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	बिरकोनी एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), पथरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्रमांक 12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	चिरौटी प. ह. नं. 22	0.87	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	चिरौटी एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), पथरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./07/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरतालाब, प. ह. नं. 104
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.606 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
372/1	0.089
372/2	0.007
372/3	0.049
372/4	0.025
372/5	0.202
372/6	0.089
372/7	0.121
372/8	0.092
372/9	0.024
373/1	0.172
373/2	0.262
373/3	0.092
373/4	0.050
373/5	0.042
373/6	0.037
373/7	0.056
374/1	0.511
374/2	0.322
374/3	0.008
387/3	0.089
387/4 दुमट 387/5, II 388/4	3.341
387/6 दुमट II 388/16	0.007
387/7 दुमट II 388/17	0.007
388/2, 388/3	2.198
388/5	0.004
388/6	0.178
388/7	0.012
388/8	0.032
388/9	1.093
388/10	0.129
388/11	0.951
388/12	0.918
388/13	0.077
388/14	0.397
388/15	1.728
388/18	0.203
388/19	0.203
388/20	0.203
388/21	0.203
388/22	0.405
388/23	0.572
388/24	0.203
388/25	0.203
योग 43	15.606

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-मिश्रित आवासीय योजना हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्रमांक-1, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक भू-अर्जन/20/अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-कातलबोड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
595	0.01
605	0.05
750	0.04
749	0.20
1047	0.10
1049	0.05
1018	0.01
714	0.02
915	0.05
1020	0.02
748	0.20
1019	0.03
योग	0.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-कुरूद-चर्रा-कातलबोड़ मार्ग का निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय के किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. मण्डावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 52/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चिराईपानी, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.842 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
201/2	0.842
योग	0.842

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-छतौना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.695 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2/1	0.077
	3/1क	0.028
	3/1ङ	0.022
	14	0.020
	11/5	0.013
	11/2ख	0.012
	13/11ख	0.029
	13/15	0.032
	13/5क	0.069
	2/2	0.150
	3/1ख	0.021
	3/2क	0.055
	4/2	0.085
	11/2क	0.012
	13/12क	0.061
	13/11घ	0.024
	13/16	0.032
	13/5ख	0.069
	2/3	0.063
	3/1ग	0.021
	3/2ख	0.054
	12	0.036
	13/8	0.081
	13/12ख	0.061
	13/10	0.020
	13/2क	0.077
	10/3	0.012
	3/1घ	0.021
	4/1	0.081
	5	0.198
	11/4	0.033
	13/11क	0.029
	13/13	0.020
	13/2ख	0.077
योग	34	1.695

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैराज निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
(ख) तहसील-धरमजयगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कुमरता
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.778 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	491/17	0.019
	423	0.194
	492	0.022
	494	0.430
	491/2	0.016
	422	0.097
योग	6	0.778

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुमरता मैनपाट मार्ग पर सांगुल नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-तमनार
(ग) नगर/ग्राम-उजलपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.300 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	51	11.580
	52	15.720
योग	2	27.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्रमांक 9/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-अमने, प.ह.नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.77 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	276/2	0.14
	278	0.44
	279	0.19
योग	3	0.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साजापाली एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्रमांक 10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-धुंमा, प.ह.नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
517	0.[illegible]7

	(1)	(2)
	45	0.25
योग	2	0.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साल्हेडबरी जलाशय के मुख्य नहर एवं वेस्टवीयर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नांगचुवा, प.ह.नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	37	0.30
योग	1	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साल्हेडबरी जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहभट्ठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.27 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	248	0.09
	251	0.08
	252/1	0.06
	253/1	0.04
योग	4	0.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चकरभाठा से दगौरी मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(ख) तहसील-बिल्हा
(ग) नगर/ग्राम-रंहगी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.69 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
587	0.09
585	0.08
579	0.41
433/1	0.02
814/2	0.11
533/2	0.02
561	0.08
560	0.12
566	0.04
557/2	0.06
559	0.10
768	0.20
781	0.19
782	0.12
783	0.12
784/1	0.14
815/2	0.15
992	0.05
999/2	0.07
1001	0.13
1003/1	0.09
1002/1	0.04
1002/2	0.05
1002/3	0.04
1002/4	0.02
1002/5	0.04
1002/6	0.06
1002/10	0.05
योग	2.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चकरभाठा से दगौरी मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(ख) तहसील-बिल्हा
(ग) नगर/ग्राम-किरारी गोढ़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
135/1	0.14
134	0.12
140/51	0.07
140/47	0.17
140/48	0.24
140/36	0.05
140/15	0.12
140/49	0.08
योग	0.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चकरभाठा से दगौरी मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-उड़गन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.88 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1275/1	0.10
1275/2	0.28
1282/1	0.48
1276	0.02
योग	0.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चकरभाठा से दगौरी मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्रमांक 3/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कलमीटार, प.ह.नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.55 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
196	0.74
200/1	1.17
200/4	0.44
201/2, 201/1	0.07
206	0.20
209/1	0.05
209/2	0.88
योग	3.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्रमांक 04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खरगहना, प.ह.नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.407 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37	0.166
38	0.166
59	0.121
58	0.032
54/1	0.154
56	0.146
73/2	0.117

(1)	(2)
73/5	0.008
74	0.057
82	0.081
78/2	0.012
78/3	0.024
79	0.028
80/2	0.045
81/1	0.105
81/3	0.105
149/1	0.215
147/1	0.040
145/4	0.077
145/6	0.174
145/5	0.012
145/2	0.061
145/3	0.093
145/1	0.045
143	0.024
142/2	0.150
483, 484	0.008
481/1	0.032
485	0.077
486	0.166
487	0.089
490	0.065
491/1	0.121
491/6	0.097
491/3	0.024
491/5	0.012
472	0.036
471/2	0.142
461, 471/1	0.154
464	0.016
465/2	0.045
465/3	0.065
योग	3.407

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्रमांक 5/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खरगहनी, प.ह.नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.627 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
125	0.215
133	0.162
132	0.178
135	0.186
131	0.032
134	0.146
136	0.093
137/1	0.093
255	0.174
173/1	0.036
169	0.291
170	0.138
189	0.154
186	0.073
188	0.097
213	0.113
214	0.045
212	0.012
217	0.097
242	0.138
258/2	0.093
258/1	0.012
256	0.049
253/2	0.251
253/3	0.032
253/1	0.016

(1)	(2)
244	0.081
243/2	0.012
484/2	0.040
485	0.632
488	0.065
489	0.202
492	0.202
482	0.032
491/4	0.073
541	0.057
542/1	0.012
542/2	0.139
542/3	0.178
533/1, 534/1	0.255
487	0.121
465, 466	0.121
491/3	0.016
245	0.121
491/2	0.024
99	0.397
105/1	0.146
105/2	0.146
105/3	0.186
109	0.186
110/1	0.210
124	0.061
123/2	0.097
196	0.008
122/1, 123/1	0.158
143/2	0.186
योग	6.878

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-मचहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.80 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
3/2	0.05
3/6	0.32
27/1	0.07
27/2	0.07
27/3	0.04
28/1	0.02
28/2	0.03
28/3	0.03
28/4	0.03
26/3	0.08
21	0.03
23/1	0.07
24	0.05
36/1	0.10
36/2	0.07
35	0.07
32	0.14
79	0.03
80/2	0.04
81/1	0.10
107	0.07
106	0.06
109/1	0.07
109/3	0.07
109/2	0.05
111/1	0.04
योग	1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमलडीहा एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-सरसेनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	11/3	0.25
योग		0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिरैया एनीकट पहुंच मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्रमांक/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/6/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-भुरकोनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.13 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	863	0.72
	864	0.08
	868	0.08
	877	0.25
योग	4	1.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भुरकोनी-चौकबेड़ा मार्ग पर मचका नाला में पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्रमांक/80/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-अछोला, प.ह.नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.26 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
121/2	0.10
151	0.03
152	0.03
157	0.08
158	0.08
159	0.09
160	0.22
161	0.14
172	0.23
179	0.26
योग 10	1.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-समोदा बैराज से ग्राम अछोला तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्रमांक/82/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-अछोला, प.ह.नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29	0.15
30	0.01
61/2	0.04
62	0.04
74	0.01
75	0.01
76	0.01
77	0.02
78	0.03
85	0.08
योग 10	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-ग्राम अछोला से महामाया मंदिर तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्र. क्र./15/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलदगी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.298 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
809/15	0.113
782/78	0.065
809/106	0.077
809/14	0.033
809/20	0.165
742/23	0.069
809/62	0.077
809/13	0.033
742/20	0.045
809/18	0.073
8/164	0.016
742/107	0.109
809/68	0.238
200/5	0.016
742/24	0.125
809/64	0.036
809/118	0.008
योग	1.298

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलदगी जलाशय के दायीं तट एवं बायीं तट के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्र. क्र./16/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अमदला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.590 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
790/18	0.178
790/31	0.550
877/4	0.567
877/5	0.295
योग	1.590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलदगी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्र. क्र./14/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलदगी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.004 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
742/23	[illegible] 21
809/107	[illegible] 53
809/110	75

(1)	(2)
809/15	0.155
योग	2.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलदगी जलाशय के बांध लाईन, डूब क्षेत्र एवं स्पील चैनल हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 13 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पथरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.81 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
20	0.23
36	0.08
26/1	0.06
26/2	0.16
34/1	0.63
34/2	0.04
35/1	0.17
35/2	0.33
35/3	0.24
39	0.06
42/2	0.15
42/3	0.20
50	0.34
52/2	0.48
37	0.05
38	0.06
40	0.11
41/1	0.06
41/2	0.07
42/1	0.45
53	0.52
52/3	0.32
योग 22	4.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोइन्द्रा पथरिया मार्ग के कि.मी. 1/2 पर आगर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक/6970/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-लखोली, प.ह.नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.033 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
197/1	0.304
439/4	0.061
439/5	0.061
439/6	0.016
459/1	0.202
461/1	0.053
463/3	0.105
463/4	0.113
469/6 (क)	0.061
469/7	0.230
469/1	0.061
483/1	0.016
700/11	0.077
700/10	0.028
700/5	0.020
700/3	0.032
698	0.065
701/1	0.141
701/2	0.045
702	0.081
697/2-3	0.061
695/1	0.022
697/1	0.036
694/1	0.024
694/2	0.077
696/2	0.045
693	0.020
694/3	0.040
711	0.065
712/1	0.069
712/3	0.065
712/2	0.073
714/1	0.101
715/2	0.049
706/1	0.004
726/3	0.032
789/2	0.036
789/5	0.024
766/2	0.053
786/3	0.016
767/2	0.158
762/2	0.121
769/1-2	0.057
178	0.008
योग 44	3.033

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजनांदगांव बायपास मार्ग निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2013-14/4155.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/6805 दिनांक 15-01-2013 रायपुर द्वारा श्री वी. पी. गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी कृषि को कृषि उपज मण्डी समिति खरसिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3352 दिनांक 14-08-2013 द्वारा कलेक्टर रायगढ़ से कृषि उपज मंडी समिति खरसिया में भारसाधक अधिकारी नियुक्ति का प्रस्ताव चाहा गया था. उप संचालक कृषि रायगढ़ ने पत्र क्रमांक 8834 दिनांक 09-09-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति खरसिया में भारसाधक अधिकारी श्री एम. एल. साहू अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का नाम भेजा है जो कलेक्टर रायगढ़ द्वारा अनुमोदित है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री वी. पी. गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी कृषि के अर्द्धवार्षिकीय आयु पूर्ण होने के कारण उनके स्थान पर श्री एम. एल. साहू अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति खरसिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2013-14/4191.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/8925, रायपुर दिनांक 21-03-2013 द्वारा श्रीमति आरती वासनिक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग-अभनपुर को कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर रायगढ़ के आदेश क्रमांक/650-651/विलि/छै-17/विलि/2013 दिनांक 29-08-2013 द्वारा श्रीमति जयश्री जैन संयुक्त कलेक्टर रायपुर को अनुविभागीय अधिकारी आरंग-अभनपुर का प्रभार सौंपा गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्रीमति आरती वासनिक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमति जयश्री जैन अनुविभागीय अधिकारी अभनपुर-आरंग को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2013-14/4235.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/4426, रायपुर दिनांक 08-10-2012 द्वारा श्री अरविंद शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3354 दिनांक 14-08-2013 द्वारा कलेक्टर महासमुन्द को पत्र लेख पर भारसाधक नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव चाहा गया था. कलेक्टर महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/287/5/अअउसा/2013-14 दिनांक 13-09-2013 द्वारा श्री दीपक सोनी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली को भारसाधक अधिकारी नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अरविंद शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री दीपक सोनी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2013-14/4237.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/3710, रायपुर दिनांक 11-09-2012 द्वारा श्री प्रमोद शांडिल्य, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाटापारा कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर बलौदाबाजार के ज्ञापन दिनांक 19-09-2013 द्वारा श्री संजय कनौजे संयुक्त कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाटापारा को भारसाधक अधिकारी नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री प्रमोद शांडिल्य, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाटापारा का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री संजय कनौजे संयुक्त कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाटापारा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक क/खलि/तीन-1/खु.घो.क्षेत्र/2013/2366.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम (12) के तहत् जिला रायपुर स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरान्त आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नं.	रकबा	भूमि प्रकार	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	नरदहा	80/1	आरंग	2002/3	2.00 हे.	निजी भूमि	एस.एस. कंट्रक्शन प्रो. श्री सुभाष शर्मा आ.श्री एस.एस. के नाम पर स्वयं की निजी भूमि खसरा नं. 2002/3 का भाग 2.00 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 07-10-2002 से 08-10-2012 तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था अवधि समाप्त होने के कारण खुला क्षेत्र घोषित हेतु.
2.	दोंदेकला	95	रायपुर	183/1	2.00 ए.	निजी भूमि	श्री परेश वर्मा आ. स्व. श्री दामन सिंह के नाम पर स्वयं की निजी भूमि खसरा नं. 183/1 का भाग 2.00 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 12-09-2007 से 11-09-2012 तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था अवधि समाप्त होने के कारण खुला क्षेत्र घोषित हेतु.
3.	बाहनाकाड़ी	79/92	आरंग	7	0.90 एकड़	निजी भूमि	श्रीमती कृष्णा देवी अठवानी पति श्री इंदर कुमार अठवानी के नाम पर स्वयं की निजी भूमि खसरा नं. 7 का भाग 0.90 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 12-03-2003 से 11-03-2013 तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था अवधि समाप्त होने के कारण खुला क्षेत्र घोषित हेतु.

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्रमांक/14400/स्थापना/2013.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक-चार की कंडिका-5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अन्बलगन पी. कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा वर्ष 2014 के लिए जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग. हेतु नीचे दर्शायी गयी तारीखों को पूरे दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत)	सप्ताह के दिन
1.	हरेली	26-07-2014	श्रावण 4, 1936	शनिवार
2.	अनंत चतुर्दशी	08-09-2014	भाद्रपद 17, 1936	सोमवार
3.	दीपावली का दूसरा दिन	24-10-2014	कार्तिक 2, 1936	शुक्रवार

अन्बलगन पी.,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th September 2013

No. 460/Confdl./2013/II-1-1/2009.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/03/2013-US.II dated 05th September, 2013 of Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Pritinker Diwaker, Additional Judge of the High Court of Chhattisgarh has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of September 10, 2013.

Bilaspur, the 16th September 2013

No. 469/Confdl./2013/II-1-5/2013.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/02/2013-US.II dated 13th September, 2013 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Gautam Bhaduri, Hon'ble Shri Justice Sanjay Kumar Agrawal and Hon'ble Shri Justice Puthichira Sam Koshy have assumed charge of the office of Additional Judge of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of September 16, 2013.

Bilaspur, the 18th September 2013

No. 472/Confdl./2013/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Rashmi Mandavi, XI Civil Judge Class-II, Raipur, for change of her surname she is, hereby, permitted to change her name as "Smt. Rashmi Netam, W/o Shri Santosh Kumar Netam" in place of "Ku. Rashmi Mandavi D/o Shri D. R. Mandavi". It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By order of the High Court,
ASHOK PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 18th September 2013

No. 530/L.G./2013/II-2-13/2009.—Shri Gautam Chouradia, District & Sessions Judge, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 15 days from 17-10-2013 to 31-10-2013 and permission to prefix holiday of 16-10-2013 (Id-Uj-Zuha) & suffix holidays of 01-11-2013 to 05-11-2013 (Deepawali Holiday) along with permission to leave head-quarters from 16-10-2013 till 05-11-2013.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chouradia, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 261 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 18th September 2013

No. 531/L.G./2013/II-3-19/2000.—Shri Sandeep Buxy, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 04 days from 26-08-2013 to 29-08-2013 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Buxy, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 295 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 18th September 2013

No. 532/L.G./2013/II-3-04/2008.—Shri Neelam Chand Sankhla, Judge, Family Court, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 05 days from 16-09-2013 to 20-09-2013 and permission to prefix holidays of 13th, 14th & 15th September, 2013 (Nawakhai festival for District Kanker as declared by the Local Government, 02nd Saturday & Sunday) & Suffix holidays of 21st & 22nd September, 2013 (03rd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters from 13-09-2013 till 22-09-2013.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 208 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 18th September 2013

No. 533/L.G./2013/II-2-2/2009.—Shri P. K. Dave, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 05 days from 09-09-2013 to 13-09-2013 and permission to prefix holiday of 08th September 2013 (Sanday) and suffix holidays of 14th & 15th September, 2013 (02nd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquaters after the Court hours of 07-09-2013 till before the Court hours of 16-09-2013.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dave, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 299 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 18th September 2013

No. 534/L.G./2013/II-2-20/2006.—Shri A. K. Beck, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 04 days from 04-09-2013 to 07-9-2013 and permission to suffix holidays of 08th & 09th September, 2013 (Sunday & Ganesh Chaturthi for District Dantewara as declared by Local Government).

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Beck, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+06 days of earned leave are remaining in his leave account.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (Admn.).